न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—504 / 2016 / 223 (2016 / 00504)

1. श्रीमती हमीदन पत्नी मांगू शाह सांई, जाति सांई, निवासी ग्राम खातोली, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. इमामुद्दीन पुत्र बिस्मिल्लाह बानो पत्नी चांद शाह, जाति मुसलमान, नि0 ग्राम चीताखेड़ा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 03.11.2016 अंतर्गत वाद संख्या 118 / 2007.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 8.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण / रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम टोंकड़ा, तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नंबर 103 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा भूमि किस्म बारानी बंजर स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार वर्तमान अधिकार अभिलेख में बाबू वल्द अलाबेली मुसलमान दर्ज है । खातेदार बाबू वल्द अलाबेली मय परिवार 15 मई, 1949 को पाकिस्तान चला गया जहां उसकी मृत्यु हो गई तथा 15 मई 1994 के बाद मृत्यु के पहले वह खातेदार कभी वापिस अपने गांव टोंकड़ा नही आया था । भारत में खातेदार बाबू पुत्र अलाबेली की सगी दो बहिनें है । बाबू के अन्य कोई जायंदा वारिस नहीं है एवं उपरोक्त आराजी में मृतक खातेदार बाबू पुत्र अलाबेली के पश्चात् विधिक वारिसान के रूप में अपीलांट एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 है जिनका ही उपरोक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.2016 द्वारा वादी / अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया ।

अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा वाद में 5 तनकियात कायम की गई जिसें संशोधित तनकीयात दिनांक 18.5.2010 को कायम की गई जिसमें तनकी संख्या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो अपीलांट के वाद को निर्णित करने में सक्षम थी किन्तु अधी0न्याया0 ने संशोधित तनकीयात पर निर्णय न देकर पूर्व में कायम की गई तनकियात पर निर्णय दिया है । वादग्रस्त आराजी के वर्तमान खातेदार बाबू पुत्र अलाबेली की दो सगी बहनें अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 की माता बिस्मिल्लाह है जो मुस्लिम विधि के नियम 224 में उत्तराधिकारी की श्रेणी एवं नियम 225 वारिसों व उत्तराधिकारियों के मध्य उत्तराधिकार का क्रम अंकित किया गया है जिसमें नियम 230 (3) में मृतक का साम्पार्श्विक जिसमें पूर्ण भाई, पूर्ण बहिन, समरक्त भाई, बहिन हैं । इस प्रकार अपीलांट का उपरोक्त आराजी में विरासतन आधार से भी संपूर्ण समति प्राप्त करने का अधिकार अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 को है । अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 18. 12.2007 को रेस्पो0 संख्या1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमें जवाब के पैरा संख्या 4 में प्रथम लाईन में यह स्वीकार किया गया कि वादिया के अलावा अन्य सगी बहन है जिसको वाद में पक्षकार नहीं बनाने से वाद खारिज किया जावे । इसका तात्पर्य यह है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा मे यह स्वीकार किया गया है कि अपीलांट के अलावा अन्य बहिन भी विधिक मूवारिसान है एवं अलग–अलग पटवारी हल्का द्वारा अलग–अलग समय पर मौका रिपोर्ट व मौका पर्चा प्रस्तुत किये गये जिसमें भी अपीलांट को विधिक वारिसान माना गया एवं रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् रेस्पो0 संख्या 2 को पक्षकार संयोजित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार किया है तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्यायालय द्वारा संशोधित तनकियात कायम की गई । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 की स्वीकारोक्ति को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अपीलांट ने समस्त तनकियात सिद्ध की थी । वादी द्वारा तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने हेतु अधिकार अभिलेख, जमाबंदी पेश की गई थी एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के जवाब दावा से तनकी संख्या 1 सिद्ध थी जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी बाबू पुत्र अलाबेली की नाम से खातेदारी में दर्ज है । तनकी संख्या 2 भी वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध की गई थी । अधी0न्याया0 के समक्ष बाबू पुत्र अलाबेली की मृत्यु दिनांक 20.2.1995 को हो गई जो मृत्यु प्रमाण पत्र सेक्रेट्रेरी यूनियन कॉन्सिल हैदराबाद जिसके क्रमांक 19 द्वारा जारी किया गया है जिसका हिन्दू अनुवाद एडवोकेट श्री एस0ए0 अलीमी(आरिफ)राज0उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है पेश किया गया है जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर वाद खारिज किया है । खातेदार बाबू पाकिस्तान चला गया था एव0 उसकी मृत्यु हो गयी एवं बाबू पुत्र अलाबेली की दो सगी बहनें है जो पटवारी हल्का श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा तैयार की गई मौका पर्चा दिनांक दिनांक 6.12.2007 एवं पटवारी हल्का टोंकड़ा के तत्कालीन पटवारी राजप्रकाश यादव द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 8.3.2013 जो प्रदर्श 14 है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश जवाबदावा से सिद्ध होता है । वादी एवं रेस्पो0 संख्या 2 मृतक खातेदार के विधिक वारिसान होकर वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ

रहे है इस कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। अधी0न्याया0 ने संशोधित तनकियात पर किसी प्रकार का विवेचन न कर पूर्व में कायम तनकियात पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । इसी प्रकार तनकी संख्या 4 को सि0 करने का भार अप्रार्थी संख्या 1 का है परन्तु अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह तनकी अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्ण रूप से सिद्ध करके अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध सिद्ध हुई चूंकि वाद पेश करने से पूर्व ही अपीलांट की सगी बहिन बिस्मल्लाह की मृत्यु हो चुकी थी एवं दौरान वाद बिस्मिल्लाह का पुत्र जो बिस्मिल्लाह का विधिक वारिस है जिसे आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत वाद मे पक्षकार संयोजित किया जा चुका था इसलिये यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता कि बिस्मिल्लाह के विधिक वारिस को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद खारिज किया जावे । दूसरा तथ्य यह कि आया कि मूल खातेदार की मृत्यु के संबधं में कोई ठोस सबूत पेश नहीं करने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है । जबकि अपीलांट ने पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी बाबू पुत्र अलाबेली का मृत्यु प्रमाण अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया है जिससे यह सिद्ध है कि बाबू पुत्र अलाबेली की मृत्यु पाकिस्तान में हो चुकी है ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् किसी भी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा निष्क्रान्त सम्पति बाबत् कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है । इसकी पुष्टि गिरदावर खातौली रतनलाल पु रघुनाथ के बयानो/जिरह से होती है । न ही निष्क्रान्त सम्पति बाबत् वर्तमान राजस्व अभिलेख में ऐसा कोई नोट ही अंकित है । दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित था कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में बाबू पुत्र अलाबेली के नाम दर्ज है तथा उसकी मृत्यु पाकिस्तान में हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वादी एवं रेस्पो0 संख्या 2 ही है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने आर0बी0जे0 1999 पेज 98 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि भारत–पाक विभाजन के समय बिना किसी सक्षम ॲथोरिटी वैलिड पासपोट्र के बिना अन्य देश में चला गया हो तो ऐसी सम्पति के बारे में जो लगातार काबिज काश्त हो अथवा उसके निकटतम विधिक वारिसान हो तो वे सक्षम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद पेश कर सकते है । मान0 मण्डल ने आर0बी0जे0 2005 पेज 332 में यह प्रतिपादित किया है कि लगातार कब्जा काश्त रहने से खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है जिसमें धारा 42 व 16 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होगें । इसी प्रकार डब्ल्यू0एल0सी सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2000 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक खातेदार द्वारा विरासतन सम्पति प्राप्त उसके विधिक वारिसान को पूर्ण अधिकार है एवं उक्त आराजी में लंबे अर्से से काबिज काश्त को देखते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है । इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 पार्ट–2 पेज 1041 में यह प्रतिपादित किया गया है कि पैतृक सम्पति में मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र, पुत्री न होने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है अथवा उपरोक्त वर्णित आराजी में धारा 63 (1) (4) के तहत लगातार कब्जा काश्त रहने पर अर्थात् प्राईवेट परसन की आराजी में 12 साल की अवधि एवं श्री सरकार अर्थात् सिवायचक भूमि में लगातार 30 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त सिद्ध होने पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान की जा सकती है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार की सगी बहिनें है एवं विवादित आराजियात पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है । मुस्लिम विधि के अनुसार खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है । विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि नहीं है न ही

रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किया गया है। अधी0न्याया0 ने इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1999 पेज 98, आर0बी0जे0 2005 पेज 332, आर0आर0टी0 2006 पार्ट–2 पेज 956, आर0आर0डी0 2017 पेज 148, आर0आर0टी0 2013 पार्ट–2 पेज 1060, आर0बी0जे0 2012 पेज 438, डी0एन0जे0 2016 पार्ट–4 पेज 1793, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.3.2012 एवं आर0आर0डी0 1991 पेज 1, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1117, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 157, आर0बी0जे0 2003 पेज 245, आर0आर0टी0 2009 पार्ट–1 पेज 646, आर0आर0टी0 2007 पार्ट–2 पेज 1041 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि बाबू पुत्र अलाबेली की थी जो 15 मई, 1949 को भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया था जिससे खातेदार की खातेदारी अधिकार समाप्त होकर विवादित भूमि निष्क्रान्त सम्पति हो गई किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाबू पुत्र अलाबेली कौम मुसलमान के नाम त्रुटिपूर्ण इंद्राज रहा । वादिया ने राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण इद्रांज का लाभ उठाने के लिए अपने आपको बाबू पुत्र अलाबेली की बहिन बताकर बाबू की उत्तराधिकार बताया है । वादी एवं रस्पो0 संख्या 2 ने कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है । वादी ने खातेदार बाबू की मृत्यु के संबंध में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किये है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 यह कायम की थी किः– '' आया ग्राम टोंकड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 103 रकबा 23–19–00 बीघा बाबू पुत्र अल्लाबेली, निवासी ग्राम टोंकड़ा की खातेदारी की भूमि थी ? '' अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया श्रीमती हमीदन पत्नि मांगूशाह ने यह कथन करते हुए घोषणात्मक वाद खसरा नंबर 103 रकबा 23–19–00 ग्राम टोंकड़ा, तहसील किशनगढ़ हेतु पेश किया कि विवादित भूमि के मूल खातेदार बाबू पुत्र अलाबेली मुसलमान, निवासी टोंकड़ा थे एवं आगे यह भी कथन किया कि बाबू मय परिवार 15 मई, 1949 को पाकिस्तान चला गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई । तथा 15 मई, 1949 के बाद मृत्यु के पहले बीच में वह कभी भी वापिस अपने गांव टोंकड़ा नहीं आया । यह भी कथन किया कि वादिया ही हिन्दुस्तान में एकमात्र सगी बहन होने के कारण वारिस है, इस कारण वादिया को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब पेश कर वादिया के वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की । तनकी संख्या 1 के निर्णय के संबंध में वादिया का मुख्य तर्क यही है कि भूमि बाबू पुत्र अलाबेली कौम मुसलमान की खातेदारी में थी, बाबू सन् 1949 में मय परिवार पाकिस्तान चला गया एवं वहीं उसकी मृत्यु हुई है तथा वादिया बाबू पुत्र अलाबेली की एकमात्र वारिस है । अधी0न्याया0 के समक्ष पैरोकार सरकार द्वारा लिखित में कथन किया कि बाबू पुत्र अलाबेली मय परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया । ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के तहत भूमि निष्क्रांत सम्पति हो गई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय

सन् 1955 में बाबू पुत्र अलाबेली भारत का नागरिक नहीं होने के कारण उसको कोई भी कानूनी अधिकार भारत में प्राप्त नहीं होते है क्योंकि 1955 से पूर्व ही बाबू मय परिवार पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर चुका था । न्यायालय हाजा के समक्ष भी अपीलांट/वादिया द्वारा यही कथन दोहराये गये कि अपीलाधीन भूमि बाबू पुत्र अलाबेली की सम्पति होने के कारण अपीलांट बाबू की सगी बहन होने से अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 को बाबू के स्थान पर अपीलाधीन भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । The administration of Evacuee Property Act. 1950 के तहत वादिया द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष बाबू की सम्पति को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु तत्समय कोई चाराजोही की गई हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । वादिया स्वंय अपने वादपत्र में इस तथ्य को स्वीकार करती है कि अपीलाधीन भूमि बाबू पुत्र अलाबेली की थी एवं बाबू पुत्र अलाबेली मय परिवार सन् 1949 में पाकिस्तान चला गया था और कभी लौटकर नहीं आया है । ऐसी स्थिति में विधिक रूप से अपीलाधीन भूमि निष्क्रांत सम्पति हो गई थी । भले ही राजस्व अभिलेख में गलत तौर पर बाबू पुत्र अलाबेली के नाम दर्ज रही हो परन्तु उक्त गलत इंद्राज की आड़ में वादिया निष्क्रांत सम्पति की खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकती है । इस संबंध धारा 63 का सब–सेक्शन 8 सुसंगत है जिसके अनुसार काश्तकारी अधिकार का कब अवसान होगा––– सब सेक्शन 8:– यदि वह कानून द्वारा मान्य परिपत्र प्राप्त किये बिना या कानूनी अधिकार बिना भारत से किसी विदेश को चला जाये । हस्तगत प्रकरण में बाबू पुत्र अलाबेली विधिमान्य रूप से सपरिवार पाकिस्तान गया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । इस कारण यह माना जावेगा कि बाबू पुत्र अलाबेली अविधिक तौर पर मय परिवार पाकिस्तान चला गया । इस संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.3. 2017 जिसके अनुसार The enemy property (Amendment and validation) Act 2017- Sec.2 (IV) (II) Explanation 2-For the purposes of this clause, the expression "enemy property" Shall mean and include and shall be deemed to have always meant and included all rights, titles and interest in, or any benefit arising out of, such property. के अनुसार भी बिना विधि मान्य रूप से यदि भारतीय नागरिक शत्रु देश में चला जाता है तो उसकी सम्पति शत्रु सम्पति मानी जावेगी एवं उसके सारे अधिकार समाप्त होकर सरकार में विलीन हो जावेगें । उस सम्पति पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हक, अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा । उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित भूमि बाबू पुत्र अलाबेली के बिना विधिमान्य रूप से पाकिस्तान चले जाने से उक्त भूमि कानूनन कस्टोडियन प्रोपर्टी हो चुकी है तथा इस सम्पति में जो शत्रु की सम्पति भी मानी जा सकती है, इस सम्पति में किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । अतः अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय विधिसम्मत् रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है ।

8. तनकी संख्याः–2 '' आया बाबू पुत्र अलाबेली निवासी टोंकड़ा 15 मई, 1949 को पाकिस्तान चला गया जहां उसकी मृत्यु हो गई ?–– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया/अपीलांट पर था । वादिया ने बाबू वल्द अलाबेली की मृत्यु होना बताते हुए साक्ष्य में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है वह सक्षम प्राधिकारी से जारी किया हुआ नहीं है । सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अभाव में एवं मृत्यु के संबंध में अन्य साक्ष्य भी नही दिया गया है इसलिये बाबू पुत्र अलाबेली की मृत्यु होना

सिद्ध नही माना जा सकता है । वादिया दस्तावेजी साक्ष्यों से तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही है । विद्वान अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 का निर्णय विरूद्ध वादिया पारित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

9. तनकी संख्याः–3– आया वादिया बाबू की सगी बहिन है तथा स्व0 बाबू के परिवार में वादीगण के अलावा अन्य कोई सदस्य नही होने से वादीगण ही एकमात्र वारिस है तथा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है ?–– इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपने आपको बाबू पुत्र अलाबेली की एकमात्र बहिन बताकर अपने आपको बाबू की भारत में एकमात्र उत्तराधिकारी होना बताया है जबकि वादिया को यह भी पता नहीं की उसकी एक बहिन बिस्समिल्ला भी है, ना ही उसने बिस्समिल्ला को वाद में पक्षकार कायम किया है । वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाणित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 बाबू पुत्र अलाबेली के वारिस हो । वादिया दस्तावेजी साक्ष्यों से तनकी संख्या 3 को साबित करने में असफल रही है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से तनकी संख्या 3 वादिया के विरूद्ध निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

10. तनकी संख्या 4 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय भी विधिसम्मत् है ।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

12. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 8.12.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर